

वन्य जीव विहार / सेन्चुरी न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग, के चैनेज नं०-0.000 से 40.150 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के सीमा के चारों ओर 01 कि०मी० परिधि तक ईको सेन्सिटिव जोन रहेगा।

अतः नोटिफिकेशन के अनुसार प्रस्तावित परियोजना में चैनेज नं०-0.000 से 40.150 तक वन्य जीव विहार के 01 कि०मी० के ईको सेन्सिटिव जोन के परिधि के बाहर है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग, सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिसूचना अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र
सोनभद्र
अधिसूचना अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र

वन्य जीव विहार / सेन्चुरी न होने के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग, के चैनेज नं०-40.150 से 46.050 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य स्थल कैमूर वन्य जीव विहार के अन्दर आ रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०
सोनभद्र
रमेश चन्द्र (कटियार)

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र